

108

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

स्वी० संख्या :- 04/यो०बजट-15/2016-

04/07

व०प०, राँची, दिनांक :- 28.04.2017

प्रेषक,

ए० के० रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
पो०- डोरण्डा।
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन सीमा का सुदृढीकरण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत 49751 पक्का सीमा स्तम्भ के निर्माण एवं डी०जी०पी०एस० द्वारा वन सीमा का सर्वे हेतु कुल रु० 2099.991 लाख (बीस करोड़ निनान्वे लाख निनान्वे हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:- योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-113 दिनांक-27.02.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजनान्तर्गत "वन सीमा का सुदृढीकरण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत कुल-2100.000 लाख (इक्कीस करोड़) रुपये मात्र की राशि का उपबंध संसूचित है।

"वन सीमा सुदृढीकरण" योजना का मुख्य उद्देश्य:- राज्य के कुल क्षेत्रफल 79714 वर्ग कि०मी० में से 23605 वर्ग कि०मी० अर्थात् 29.61 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है। राज्य में बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप वनों पर मानविक दबाव बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग ही समय की माँग है। अतः प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए वन अभिलेखों एवं वन सीमाओं का डिजिटাইजेशन (Digitization), जियोरिफरेंसिंग (Geo-referencing) करना अति आवश्यक है।

2. राज्य में लगभग 12 लाख से अधिक वन सीमा स्तम्भ पूर्व से चिन्हित है। इस योजना के अंतर्गत नये पक्के बाउण्ड्री पीलरों का निर्माण किया जाना है तथा वन सीमा स्तम्भों के निर्माण से पूर्व वन विभाग द्वारा समेकित रूप से नक्शे, सर्वे ऑफ इंडिया के टोपोशीट तथा आधुनिक तकनीकी GPS (Global Positioning System)/ DGPS (Differential Global Positioning System) की सहायता से वन सीमा का सर्वे किया जायेगा। अभिलेखों का इस प्रकार से डिजिटাইजेशन करने से वन प्रशासन के कार्य सुदृढ़ होंगे तथा शोध आदि कार्य लाभप्रद होगा।

3. भवन निर्माण विभाग द्वारा दिनांक-01 जुलाई, 2016 को अधिसूचित कार्य दर के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3618 प्रति पक्का सीमा स्तम्भ निर्माण के प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राकलन अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

25/4

सर्वे हेतु कुल रू0 2099.991 लाख (बीस करोड़ निनान्चे लाख निनान्चे हजार एक सौ रुपये) मात्र प्रशासनिक स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है:-

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	सर्वेक्षण	कुल
1	49751 पक्का सीमा स्तम्भ का निर्माण	1799.991	719.996	1079.995	-	1799.991
2	डी0जी0पी0एस0 सर्वे (सीमा स्तम्भ का अक्षांश एवं देशांतर का रीडिंग लेना तथा जियोरेफेरन्स का मैप तैयार करना)।	300.00	-	-	300.00	300.00
	योग :-	2099.991	719.996	1079.995	300.00	2099.991

उक्त योजना के अंतर्गत प्रमंडलवार पक्का सीमा स्तम्भ के निर्माण का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1 एवं डी0जी0पी0एस0 सर्वे (सीमा स्तम्भ का अक्षांश एवं देशांतर का रीडिंग लेना तथा जियोरेफेरन्स का मैप तैयार करना) करने का स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

5. स्वीकृत राशि बजट उपबंध के अंतर्गत है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस राशि की निकासी बजट मुख्य शीर्ष- 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01-वानिकी लघु शीर्ष 101-वन संरक्षण विकास तथा संपोषण उपयोजना, उप शीर्ष 48-वन सीमा का सुदृढीकरण योजना के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. इस योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजटीय उपबंध एवं स्वीकृत राशि की विवरणी निम्नवत है:-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध	स्वीकृत राशि
1	मजदूरी	19S240601101480103	720.000	719.996
2	आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101480323	1080.000	1079.995
3	सर्वेक्षण	19S240601101480382	300.000	300.000
	कुल		2100.00	2099.991

7. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध परिशिष्ट-1 के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

8. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

12. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम - 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

12. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम - 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

13. योजना का सूत्रण स्थल विशेष प्राक्कलन तथा तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप ही राशि की गणना कर योजना का सूत्रण किया गया है।

नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

15. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक-20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

18. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

19. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनांतर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol.(III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

04/04
20-2604-2017

विश्वासभाजन,
12/4
(ए0के0 रस्तोरी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :-04/यो0बजट-15/2016-

व0प0,राँची, दिनांक :-28.04.2017-

प्रतिलिपि- राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ योजना -सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए0के0 रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :-04/यो0बजट-15/2016-

व0प0,राँची, दिनांक :-28.04.2017-

प्रतिलिपि :- सानुलग्नक संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए0के0 रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन सीमा का सुदृढीकरण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रमण्डलवार पक्का सीमा स्तम्भ के निर्माण का प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (रु० 3618.00 प्रति सीमा स्तम्भ)

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (सीमा स्तम्भ की सं०)	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iv	v	vi	vii	viii
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	5358	193.852	77.541	116.311	193.852
2	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	3300	119.394	47.758	71.636	119.394
3	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	3000	108.540	43.416	65.124	108.540
योग :-		11658	421.786	168.715	253.072	421.786
4	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	5000	180.900	72.360	108.540	180.900
5	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	3000	108.540	43.416	65.124	108.540
योग :-		8000	289.440	115.776	173.664	289.440
6	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	3000	108.540	43.416	65.124	108.540
7	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	3000	108.540	43.416	65.124	108.540
8	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	3000	108.540	43.416	65.124	108.540
9	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	2500	90.450	36.180	54.270	90.450
10	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	2500	90.450	36.180	54.270	90.450
योग :-		14000	506.520	202.608	303.912	506.520
11	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	2500	90.450	36.180	54.270	90.450
12	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	3843	139.040	55.616	83.424	139.040
13	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	3000	108.540	43.416	65.124	108.540
14	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	3000	108.540	43.416	65.124	108.540
15	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	2500	90.450	36.180	54.270	90.450
योग :-		14843	537.020	214.808	322.212	537.020
16	वन्ध्याप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	1250	45.225	18.090	27.135	45.225
योग :-		1250	45.225	18.090	27.135	45.225
सकल योग :-		49751	1799.991	719.996	1079.995	1799.991

१५/११/१८
दि २२.०४.२०२४


१०/११/१८
(१० के० रस्तोगी)
विशेष सचिव,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन सीमा का सुदृढीकरण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रमण्डलवार वन भूमि सीमा का डी0जी0पी0एस0 सर्वे (सीमा स्तम्भ का अक्षांश एवं देशांतर का रीडिंग लेना तथा जियोरिफेरन्स मैप तैयार करना) करने का स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	सर्वेक्षण	कुल
i	ii	v	viii
1	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	37.500	37.500
2	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	37.500	37.500
3	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	37.500	37.500
4	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	37.500	37.500
5	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	37.500	37.500
6	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	37.500	37.500
7	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	37.500	37.500
8	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	37.500	37.500
योग :-		300.000	300.000

04/10/17
दि. 28-04-2017


(ए० क० सहायक)
विशेष सचिव